

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 26 / 2013

तारीख रजु 25.02.2013

उनवान

- 1 हुकमसिंह पुत्र बच्चूलाल उर्फ बच्चीलाल जाति जाट निवासी बाजना कला तहसील हिण्डौन जिला करौली।

—वादीगण(01)

बनाम

- 1 बृजमोहन जाति जाट बगै0 निवासी बाजना कला तहसील हिण्डौन जिला करौली।

—प्रतिवादीगण(17)

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री एसके मुदगल एडवोकेट


निर्णय

दिनांक 14.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बावत् इस्तकरार हक स्थाई निषेद्याज्ञा तकास्मा स्थित ग्राम बाजना कला तहसील हिण्डोन के खसरा न. 708, 713/1683, 744, 719, 817, 834, 835, 836, 837, 916, 917, 918, 920, 921, 922, 923 के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार आवाज दिलाई गई। पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावा में कोई रुचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी दावा मुकदमा नंबर 26/2013 हुकमसिंह बनाम बृजमोहन बगै0 अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 14.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

